भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नि संख्या 2362

4 अगस्तश्र2015 के लिए प्रश्नर

निधियों की कमी

2362. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय खाद्य राज सहायता वितरण करने में निधियों की भारी कमी का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है और किस हद तक कमी का सामना किया जा रहा है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

(क): जी हां। अनुमानित आवश्यकता की तुलना में बजट में निधियों के कम आवंटन के कारण इस विभाग को भारतीय खाद्य निगम तथा जिन राज्यों ने विकेंद्रीकृत खरीद स्कीम (डीसीपी) अपनाई है, उन्हें खाद्य सब्सिडी के संवितरण हेतु निधियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

(ख): संशोधित अनुमान 2014-15 तथा बजट अनुमान 2015-16 में दर्शाई गई आवश्यकता और बजट में किए गए आवंटन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

	भारतीय खाद्य निगम	डीसीपी राज्य
संशोधित अनुमान 2014-15 में दर्शाये गए अनुमान	147730	23500
संशोधित अनुमान 2014-15 में वास्तविक आवंटन	97000	21175.81
2014-15 के दौरान कमी	50730	2324.19
बजट अनुमान 2015-16 में दर्शाये गए अनुमान	119348	27000
बजट अनुमान 2015-16 में वास्तविक आवंटन	97000	22919
2015-16 के दौरान कमी	22348	4081

.....2/-

इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि यह विभाग खाद्य सब्सिडी हेतु पर्याप्त निधियों के आवंटन के लिए यह मामला नियमित रूप से उठा रहा है। यद्यपि सरकार ने हाल के वर्षों में खाद्य सब्सिडी हेतु बजटीय आवंटन में वृद्धि की है , तथापि किया गया आवंटन बजटीय अड़चनों और अन्य अत्यावश्यक वित्तीय बाध्यताओं के कारण , विशेष रूप से भारतीय खाद्य निगम के संबंध में निधियों की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से अपर्याप्त है। भारतीय खाद्य निगम को अपने खरीद प्रचालन सुचारू रूप से करने में समर्थ बनाने के लिए उसे पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:-

(1) 54495 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) स्वीकृत करना।
(2) अल्पावधिक ऋण की सीमा 20000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30000 करोड़ रुपए करना।
(3) 10000 करोड़ रुपए का अर्थोपाय अग्रिम स्वीकृत करना।
(4) इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को बकाया सब्सिडी के प्रति 40000 करोड़ रुपए के ऋण के सरकार की गारंटीशुदा बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है।

*****